



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227476
CG-DL-E-12062021-227476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2082]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943

No. 2082]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISTHA 20, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

का.आ.2242(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त वर्णन इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, खास जमीन संपादन अधिकारी, गांधीनगर, तृतीय तल, जिल्ला सेवा सदन, सेक्टर-11, गांधीनगर, गुजरात पिन -382011 को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जन में आने अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम : गांधीनगर

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	पुराना सर्वेक्षण/ब्लोक संख्या	नया सर्वेक्षण /ब्लोक संख्या	हैक्टर में क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4क)	(4ख)	(5)
1	कलोल	मोती भोयान	1828/अ	1830	0.1149
2			1828/ब	1829	0.2128
3			1828/क	2100	0.4921
4			1828/ड	2101	0.5306
5			1828/ई	2102	0.2163
6		नास्मेद	218/1+3	229	0.1235
7			261/2	390	0.0991
8			261/2	391	0.0875

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2158]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2021

S.O. 2242(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has given in the schedule annexed hereto is required for execution of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Gandhinagar, in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition Officer, Gandhinagar, Third Floor, Jilla Seva Sadan, Sector – 11, Gandhinagar, Gujarat, Pin - 382011 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without Structure falling within the district Gandhinagar for Special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of district: Gandhinager

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Old Survey /Block Number	New Survey /Block Number	Area in Hactare
(1)	(2)	(3)	(4a)	(4b)	(5)
1	Kalol	Moti Bhoyan	1828/अ	1830	0.1149
2			1828/ब	1829	0.2128
3			1828/क	2100	0.4921
4			1828/ड	2101	0.5306
5			1828/ई	2102	0.2163
6		Nasmed	218/1+3	229	0.1235
7			261/2	390	0.0991
8			261/2	391	0.0875

[F. No. 2021/LML-II/12/1/WC/2158]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)